ORDER-SHEET

म.प्र. राज्य द्वारा छीपाबड वि. अमरदीप

SUM/158/2022

Crime No. 556/22

Date of order or proceeding	Order of proceeding with Signature of presiding officer	Signature of parties or pleaders where necessary.
24-11-2022 P.N 147/22	आरक्षी केन्द्र छीपाबड़ की ओर से आरक्षक क्रमांक 244 रामकिशोर ने उपस्थित होकर अपराध क्रमांक 556/2022 अंतर्गत धारा 510 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत अभियुक्त **अमरदीप पिता महेश कैथवास, आयु 42 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 3 खिरकिया, थाना छीपाबड, जिला हरदा (म.प्र.)** के विरूद्ध यह अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत अभियोग पत्र का अवलोकन करने पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 510 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत संज्ञान लिए जाने के प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार उपलब्ध है। अतः प्रकरण नियमानुसार केंद्रीय आपराधिक पंजी/सी.आई.एस. में पंजीबद्ध हो। मुद्देमाल विधिवत नजारत शाखा में जमा हो। राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ. श्री संदीप तिवारी उपस्थित। अभियुक्त थाने से सूचना पत्र पर उपस्थित, अभियुक्त को अभिरक्षा में लिया गया। इस स्तर पर अभियुक्त के द्वारा प्रकरण में आज ही अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया। अभियुक्त को समझाया गया कि वह स्वीकारोक्ति करने के लिये बाध्य नहीं है और उसकी स्वीकारोक्ति उसके विरूद्ध उपयोग में ली जावेगी, फिर भी अभियुक्त ने स्वेच्छया अपराध किया जाना स्वीकार किया है। प्रकरण के अवलोकन उपरांत अभियुक्त को धारा 510 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अपराध की विशिष्टयां सुनाए जाने के पर्याप्त आधार होने से उक्त अपराध की विशिष्टयां पृथक समरी शीट पर निर्मित कर अभियुक्त को सुनाई समझाई गई। अभियुक्त ने अपराध करना स्वीकार किया है। प्रकरण में पृथक से निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया। निर्णय अनुसार अभियुक्त को धारा 510 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 दंडनीय अपराध में 10/– (दस) रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम पर अभियुक्त को 1 दिन का साधारण/कठोर कारावास भुगताया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा शराब व डिस्पोजल मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे। ~~अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किए गए।~~	

अभियुक्त ने अर्थदण्ड की राशि 10/– (दस) रूपये रसीद बुक नम्बर 49522 रसीद क. 27 पर जमा की गई। अभियुक्त को पावती प्रदान कर मुक्त किया गया।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में दर्ज कर एवं सी. आई.एस. सॉफ्टवेयर में से कम कर अभिलेखागार भेजा जावे।

24/11/22

श्रीमती कला भम्मरकर
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
खिरकिया जिला हरदा (म.प्र.)

संक्षिप्त विचारण अंतर्गत धारा 263, 264 दंड प्रकिया संहिता 1973

न्यायालय– श्रीमती कला भम्मरकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खिरकिया, जिला हरदा (म.प्र.)

आपराधिक प्रकरण कमांक SUM-158/2022

अपराध किये जाने की दिनांक 07.11.2022

रिपोर्ट या परिवाद की दिनांक 07.11.2022

अभियोगी का विवरण म.प्र. शासन द्वारा–थाना प्रभारी छीपाबड, जिला हरदा

अभियुक्त का नाम, पैतृकता और निवास

1. अभियुक्त अमरदीप पिता महेश कैथवास, आयु 42 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 3 खिरकिया, थाना छीपाबड, जिला हरदा (म.प्र.)

परिवादित अपराध का विवरण

1. आपने घटना दिनांक 07.11.2022, समय रात्रि के 07:30 बजे, स्थान बाबा चिकन बिरयानी के सामने बस स्टैण्ड खिरकिया लोकस्थान पर अंतर्गत थाना छीपाबड, जिला हरदा में शराब का क्वॉटर लिये पीते हुये मत्तता की हालत में प्रवेश कर अतिचार किया और इस प्रकार का आचरण किया, जिससे अन्य व्यक्ति को क्षोभ हुआ ?

– और ऐसा करने में आपने वह अपराध किया है जो **धारा 510 भारतीय दण्ड संहिता, 1860** के तहत् होकर मेरे अख्तियार में है।

जो इस न्यायालय के संज्ञान के अधीन है। क्या आप दोषी होने का अभिवचन करते हो या प्रतिरक्षा चाहते हो ?

श्रीमती कला भम्मरकर
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
खिरकिया जिला हरदा (म.प्र.)

अभियुक्त का अभिवाक है कि –

अपराध
मुझे स्वीकार है।

24.11.22

श्रीमती कला भम्मरकर
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
खिरकिया जिला हरदा (म.प्र.)

न्यायालय–श्रीमती कला भम्मरकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खिरकिया, जिला हरदा (म.प्र.)

SUM-158/2022

निर्णय

(आज दिनांक 24.11.2022 को घोषित)

01. अभियुक्त पर धारा 510 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत अपराध पाये जाने पर अपराध विवरण पढकर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छयापूर्वक अपराध करना स्वीकार किया है।

02. अभियुक्त द्वारा की गई स्वेच्छया अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को धारा 510 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अधीन दंडनीय अपराध हेतु दोषसिद्ध ठहराया जाता है। किये गये अपराध की प्रकृति एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को परीवीक्षा अधिनियम के प्रावधान का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

03. दंड के प्रश्न पर विचार किया गया। अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थितियों पर विचारोपरांत अभियुक्त को धारा 510 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 दंडनीय अपराध में 10/– (दस) रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम पर अभियुक्त को 1 दिन का साधारण/कठोर कारावास भुगताया जावे।

04. प्रकरण में जप्तशुदा शराब व डिस्पोजल मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में उदघोषित कर,
दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

24.11.22
श्रीमती कला भम्मरकर
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
खिरकिया जिला हरदा (म.प्र.)

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

24.11.22
श्रीमती कला भम्मरकर
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
खिरकिया जिला हरदा (म.प्र.)